फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तुलसीराम **विपक्षी : वरदा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 63/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.11.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होना बताकर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्क सुने। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पति होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पति होने से प्रार्थीगण का हक निहित हैं। वादग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 द्वारा दखलन्दाजी करने एवं अवरोध पैदा करने से विपक्षी को पाबंद किया जाने का निवेदन किया। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर सकेगा। इसलिए विपक्षी को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा निम्बोलों का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 1513 किता 1 रकबा 0.4694 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 वरदा पिता हिरालाल डांगी मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2022.11.23 10:47:46 IST Reason: SelfAttested	